[Mr. Deputy-Speaker]

of the Consolidated Fund of the State of Kerala for the services of the financial year 1964-65 be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We shall now take the clause-by-clause consideration. The question is:

"That clauses 1, 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri T. T. Krishnamachari: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.10 hrs.

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATIOIN) AMENDMENT BILL

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.".

This Bill has been necessitated for the simple reason that certain industries were taken over under this Act by Government, and in respect of those industries or concerns, the period of extension of the control and regulation is due to expire very shortly, and unless the Act is amended, further extension is not possible.

The present provision in the Bill which seeks to amend section 18A empowers the Government to extend the period by two years at a time, after the initial take-over period for five years. There is no deviation from the principal enunciated in the parent Act. This Bill just carries on the same spirit a little further. I, therefore, submit that this Bill may be considered.

Sir, I move.

15.12 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration.".

Since there is the urgency of passing this Bill by 3.30 p.m. today, I request that hon. Members who want to offer their comments may be brief. They may not take more than five minutes each.

Shri Bade (Khargone): If you are going to give us only five minutes, then we would not like to speak.

Mr. Chairman: All right, the hon. Member can have one o two minutes more. I would request that the comments may be brief.

Shri Bade: After all, we have to do justice to the Bill.

Mr. Chairman: He may have one or two minutes more.

श्री बड़े : सभापति महोदय, दी इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल जो सदन् के सामने इस समय लाया गया है यह केवल इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 के सैक्शन

18 ए को अमेंड करने के वास्ते लाया गया है । सेक्शन 18 ए में यह लिखा हुआ है : —

"....it may from time to time issue directions for such continuance for such period not exceeding two years, as is specified in the direction.....".

शासन कोई भी कारखाना यदि अपने हाथ में लेता है तो वह जरूरत के मुताबिक अगर चाहे तो समय समय पर उस के जारी रहने के लिए डाइरेक्शंस इश्यू कर सकता है, पहली अवधि खत्म होने के पहले उसको साल ब साल बढ़ा सकता है लेकिन यह जरूर है कि वह जारी रखने की अवधि दो साल से अधिक की न होनी चाहिये और टोटल कंटीनुएंस दस साल से ऐक्सीड नहीं करना चाहिये । इसी मंशा को पूरी करने के लिए सरकार सदन के सामने यह अमेंडिंग बिल लाई है । लेकिन मेरा कहना है कि ओरीजिनल 18ए पर्याप्त था और उसे अमेंड करने की जरूरत नहीं थी । उसमें यह प्राविजन दिया हुआ है :—

"Provided that the Central Government, if it is of opinion that it is expedient in public interest so to do, may direct that any such notified order shall continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid for such further period as may be specified in the direction and that when such direction is issued, a copy thereof shall be laid on the Table of the House.".

ऊपर के सैक्शन को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करता हो तो वह उसे ऐक्सटेड कर सकती है और यह नोटिफाई कर सकती है कि अमुक नोटिफाइड आर्डर पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमल में आता रहेगा और वह उसे दो साल से कम अवधि तक के लिए बढ़ा सकती है । दो, दो साल के लिए सरकार उसका अमल बढ़ा सकती है । लेकिन शायद मिनिस्टर महोदय को ला डिपार्टमेंट से यह लिख कर आया होगा कि आप उस नोटिफाइड आर्डर की अवधि को नहीं बढ़ा सकते हैं इस वास्ते वह यह अमेंडिंग बिल लाये हैं ।

सैक्शन 15 ओरिजिनल ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि अगर इनवेस्टिगेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सैटिसफाइड हो जाती है कि वह किसी आर्टिकिल के प्रोडक्शन के बारे में डाइरेक्शंस इश्यू करे तो वह ऐसा कर सकती है ।

वहां पर यह दिया हुआ है —

"If after making or causing to be made any such investigation as is referred to under section 15, the Central Government is satisfied that under that section it is desirable, it may issue such directions regulating the production of any article.....".

ए० बी० सी० कारण दिये हुए हैं कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय तो शासन डाइरेक्शंस इश्यू कर सकता है ।

अब इस अमेंडिंग बिल के द्वारा जो यह लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में यह आवश्यक समझे तो नोटिफाइड आर्डर को पांच साल की उसकी अवधि के समाप्त होने पर समय समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ा सकती है । लेकिन यह पब्लिक इंटरेस्ट है क्या ? मैंने तो कई केसेज में यह देखा है कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट दरअसल यह डिमांड करता है कि सरकार उसकी अवधि बढ़ाये और उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को वह रेगुलेट करे वहां शासन कदम नहीं उठाता है लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का अपना पार्टी इंटरेस्ट फंसता है तो वह उस कारखाने के मामले में अपना हस्तक्षेप करती है ।

[श्री बड़े]

उदाहरण के लिए मैं आप को बतलाऊं कि शोलापुर की एक क्लाथ मिल है। वहां भी इस प्रकार की एक अव्यवस्था हो गई है लेकिन वहां शासन ने क्या हस्तक्षेप किया? शासन द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद क्या वहां के मजदूरों को हरजाना दिया गया? क्या शासन द्वारा वहां के मजदूरों को कुछ भी रिलीफ़ दी गई है? मैंने तो यह देखा है कि जब शासन ने किसी कारख़ाने को अपने हाथ में लिया है तो शासन द्वारा कारख़ाना लिये जाने के बाद मैंने यह देखा है कि वह इतनी अच्छी तरह से नहीं चलता है जैसा कि प्राईवेट व्यक्ति द्वारा चलने वाला कारखाना चलता है। जहां पर शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता है, उसका कंट्रोल सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है वहां अच्छा काम चलता है।

श्री चौरड़िया और ढेंगड़ी ने अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में यही बात कही थी और उन्होंने इस बारे में राजनन्दन गांव मिल का उदाहरण दिया था। वह मिल बंद हो गई है। हमारे पास इस तरह का समाचार आया हुआ है कि वहां का काम बंद है लेकिन उस में शासन हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा हमारा अनुभव यह है कि जहां शासन हस्तक्षेप करता है और उस इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है तो वहां जो अपने कर्मचारी शासन द्वारा नियुक्त होते हैं वे एक तो आवश्यकता से अधिक होते हैं दूसरे उनको इसका पर्याप्त प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता कि उस कारख़ाने के प्रोडक्शन वर्क को कैसे सुचारु रूप से चलाया जाय। आप के उन अफ़सरान को उस काम के बारे में अनुभव नहीं होता है और वर्क सफर करता है। दूसरे उनके द्वारा उस इंडस्ट्री के काम में इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है कि परिस्थिति बजाय सुधरने के और खराब ही हो जाती है। मैं राज्य सभा के श्री ढेंगड़ी के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि मजदूरों को आपको इस में असोसिएट करना चाहिये। जो बोर्ड आप उस के लिए क़ायम करें उसमें मजदूर संगठनों के आदमियों को भी लेना चाहिये। साथ ही साथ दूसरे ऐसे आदमियों को उसमें लेना चाहिये जो कि उसमें ऐक्सपर्ट हों। लेकिन मैंने देखा है कि इस तरह सरकार काम नहीं करती है। उज्जैन मिल में गड़बड़ी चलती थी और उस के लिए शासन को यह कहा गया कि वह उसमें हस्तक्षेप करे लेकिन शासन ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। एक ऐसे आदमी को मिल दी गई जो कि बेच-बेच कर सब मिल खा रहा है। इसलिये शासन को देखना चाहिये कि जब वह किसी कारख़ाने या इंडस्ट्री में हस्तक्षेप करे तो उपयुक्त आदमियों को उसका काम करने के लिए नियुक्त करें। शासन को दरअसल जहां पबलिक इंटरैस्ट डिमांड करे वहीं उसे हस्तक्षप करना चाहिये अन्यथा नहीं। जहां पर राष्ट्रीय हित का तकाज़ा हो, जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व जैसे कि कम्युनिस्टस आदि घुस गये हों जैसा कि भूपाल की इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि उसके पबलिक सैक्टर में होते हुए भी, वहां पर कम्युनिस्ट तत्व सक्रिय हैं और आये दिन कम्युनिस्टों द्वारा वहां उकसाने से लेबर में अनरैस्ट रहता है और एक ख़राब परिस्थिति पैदा हो गई है ऐसी जगह में बेशक सरकार को इंटरफ़ीयर करना चाहिये। शासन का ऐसा समझना कि जिस भी कारख़ाने में वह हस्तक्षेप करेंगे जिसका भी काम व अपने हाथ में सम्हालेंगे उसे वह कुशलतापूर्वक चला सकेंगे, प्रैक्टिकल शेष में कई जगहों में सही सिद्ध नहीं हुआ है। पबलिक एकाउंटस कमेटी का मैं दो टर्म से मैम्बर रहा हूं और मैंने देखा है कि जहां जहां शासन द्वारा कारख़ाने चलाये जाते हैं वहां वहां लौस होता है। वहां पर बुरी तरह से रुपया

खर्च किया जाता है । सरकार को यह देखना चाहिये कि वहां पर अनापशनाप खर्च बंद हो । सरकार जिस इंडस्ट्री को अपने हाथ में ले उसे उसका मैनेजमेंट अनुभवी और एक्सपर्ट्स के सुपुर्द करना चाहिये । शासन को उस पर अपनी निगरनी रखनी चाहिये ।

दूसरे मैंने देखा है कि शासन के काम में देर होती है और मैंने देखा है कि फ़ौरेन एक्सचेंज के न मिलने के कारण मध्य प्रदेश में एक कारख़ाना बंद पड़ा रहा । फौरेन एक्सचेंज के लिए यहां आठ रोज से आदमी पड़े हुए हैं । सरकार को यह देखना चाहिये कि फौरेन एक्सचेंज चूंकि उनको मिलता नहीं है, देर लगती है, इसलिये प्रोडक्शन सफर करता है, उनको इसकी दिक्कत पेश न आये और उन्हें समय पर फौरेन एक्सचेंज मिल जाय । आज हालत यह है कि उनको फारेन एक्सचेंज के लिए रामैटीरियल के लिए दिल्ली आकर चक्कर काटना पड़ता है, हम एम० पी० लोग भी उनके साथ जाते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में इस के लिए उनके संग मारे, मारे फिरते हैं । आज फौरिन एक्सचें और रामैटीरियल समय पर न मिलने के कारण उनके बंद होने की नौबत आ जाती है । श्री टी० एन० सिंह ने जब से इस मंत्रालय का कार्यभार सम्हाला है, स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और अगर उनके वहां पत्र लिखा जाता है, तो जवाब दे दिया जाता है पहले जवाब तक नदारद रहता था ।

मुझे इतना ही कहना है कि सरकार अगर उन कारखानों के काम में इंटरफीयर करती है, उन्हें अपने कंट्रोल में चलाती है तो उसे सावधानी के साथ वहां पर ऐसे व्यक्ति लगाने चाहिये जो कि ईमानदारी और किफायतशारी के साथ उस काम को बखूबी अंजाम दें । वहां जो आप बोर्ड बनायें उसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दें । खाली एक, दो व्यक्तियों के हाथ में यह काम नहीं देना चाहिये । इसके लिए उन्हें बोर्ड नियुक्त करना चाहिये । अगर आप उन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो बड़ी सतर्कता के साथ आप उनके काम को करवायें ताकि वहां पर लौस न हो । वहां पर अच्छे लोगों को रखना चाहिये । जब से सिंह साहब इस मंत्रालय में आये वह कारख़ानों की तरफ़ ध्यान दे रहे हैं और मुझे भरोसा है कि वह भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे और इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

Shri D. C. Sharma *rose*—

Mr. Chairman: Is it necessary to further discuss these things? I think there are hardly about 8 minutes.

श्री हुकम चन्द कछवाय : (देवास) : सभापति महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं । इस समय हाउस में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: The bell is being rung. Now there is quorum.

Shri T. N. Singh: Mr. Chairman, I have listened with attention to what the hon. Member from the other side said. I can only say that we have never taken over any undertaking without due reason. We have so far taken over 19 concerns. Of these 12 have been released and seven are under Government management and they are doing well. In fact it is for the purpose of good management of a particular cerncern that we have brought forward this amendment. The House is aware of the circumstances in which that concern was taken over. Therefore

[Shri T. N. Singh]

we want to continue to have a control over that concern for a longer period.

An hon. Member: What is the name of that concern?

Shri T. N. Singh: The name of that concern is M/s. Jessop & Co.

Shri Bade: What about other concerns?

Shri T. N Singh: There are others also which have been taken over.

I have not got the list here but, if the hon. Member so desires, that information can be supplied later on. I can only say that the law provides that every concern, taken over should be taken over after due enquiry. So, it is not taken over on any other ground. We are limited today to one extension period only. I want more extensions only. If there is need for further extension of the period we should be able to do so But the limit is upto 10 years. I think the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1965 is in accordance with the principles of the original Act. Therefore I commend this bill to the House.

श्री बड़े : माननीय मंत्री ने कहा है कि जैसप एंड कम्पनी नहीं है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुंदड़ा के या दालमिया के जो कारख़ाने हैं, बोस कमीशन की रिपोर्ट में जिन कारख़ानों का ज़िक्र है, क्या उन कारख़ानों में मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप कराया है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, इस वक्त मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं बाद में माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 2 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Title and the Enacting Formula stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

Shri T. N. Singh: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Now we shall take up the Private Member's Business.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): It is scheduled for 3-30 p.m. I don't think we can take that up before 3-30 p.m. under the rules.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): What is the harm in taking this up earlier?

Mr. Chairman: Let us not waste the time when it is available. We shall take this up if the House agrees.

Shri Hari Vishnu Kamath: We shall have five minutes recess.